राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./5010/2004/नागौर

बीरमनाथ पुत्र ओंकार नाथ जाति जोगी निवासी बड़ती तहसील व जिला नागौर

....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक अपीलांट
श्री वी.पी.सिंह राजावत, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक : 14.02.2019**

द्वारा–श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 159/2002 में दिनांक 12–8–2004 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा का सहायक कलक्टर, नागौर के न्यायालय में प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि वर्तमान खसरा नंबर 451 के दक्षिणी भाग की 32 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर वादी संवत् 2000 के आसपास से लगातार काबिज काश्त है तथा इस भूमि के चारों तरफ वादी द्वारा बाड की गई तथा रिहायशी ढाणी बनी है। मारवाड टीनेन्सी एक्ट लागू होने तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू होने से लगातार वादी काबिज काश्त है। हालांकि उसे हक खातेदारी हासिल हो गए परन्तु भू अभिलेख में वर्तमान भू प्रबन्ध के दौरान इस खसरा नंबर को गै.मु. अंगौर अंकित कर दिया तथा उक्त खसरा 795 बीघा 1 बिस्वा का है, जिसमें अन्य कई काश्तकारों के खेत हैं तथा उक्त इन्द्राज पूर्णतया गलत है। परन्तु अभिलेख में उक्त भूमि अंगोर के रूप में अंकित होने से वादी के विरूद्ध बार–बार धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही होती रही है। इस सबंध में इन्द्राज दुरूस्ती के बाबत नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. के तहत राज्य सरकार को दिया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण वाद प्रस्तुत किया गया। अतः वाद स्वीकार किया

जाकर खसरा नंबर 451 दक्षिणी भाग की रकबा 32 बीघा 11 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। इस वाद का प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर विरोध किया एवं कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है, जिस पर वादी का कभी भी संवत् 2000 के आसपास कब्जा नहीं रहा तथा वादी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कि वह अपना पुराना कब्जा साबित कर सके। वादी ने राजकीय भूमि को हडपने की नियत से यह वाद पेश किया है, जो खारिज योग्य है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाए। दावा व जवाव दावा के आधार पर विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम की एवं पक्षकारान की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य दर्ज कर एवं उभय पक्ष को सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–6–2002 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 12–8–2004 द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की दलील है कि अपीलांट ने खसरा नंबर 451 के दक्षिणी भाग के 32 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर अपना कब्जा पूर्ण रूप से साबित कर दिया था, इस संबंध में उसने खसरा गिरदावरी संवत् 2025, 2033, 2039, 2040 प्रस्तुत की थी किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को दरकिनार करते हुए अभिवचनों से परे जाकर वादी का वाद खारिज किया था, जबकि वादी के गवाहान से राज्य सरकार की ओर से कोई जिरह नहीं की गई तथा खण्डन में भी उसने कोई साक्ष्य पेश नहीं की। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं था। अपीलार्थी के प्रकरण में भूमि के अंगौर किस्म दर्ज हो जाने के कारण धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वादी को खातेदारी अधिकार देना उचित नहीं माना गया। जबकि यह निष्कर्ष पूर्व में पारित निर्णयों के प्रतिकूल है। पूर्व के निर्णयों से राज्य सरकार पाबंद है क्योंकि दिनांक 16–11–1973, 16–5–83, 8–5–86, 22–12–89 व 2–6–90 को पारित निर्णयों में सहायक जिलाधीश, नागौर ने यह साफ माना था कि यह भूमि अंगौर भूमि नहीं है तथा काश्तकारों को खातेदारी अधिकार भी प्रदत्त किये गये थे, जो बदस्तूर जारी है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने न तो कोई पृथक से बिन्दु कायम किये और न ही साक्ष्य का पुनर्विश्लेषण किया, जिस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश 41 नियम 31 सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत है। वादग्रस्त

आराजीयात अंगौर भूमि के रूप में इस्तेमाल नहीं होने के कारण भी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं नीति के अनुरूप खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लायक हो गई थी, फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाये बगैर वादी का वाद व अपील खारिज कर दी थी। यदि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा धारा 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम, 1955 के तहत आज्ञाप्ति पारित करना उचित नहीं समझा गया था, तो उस स्थिति में प्रकरण को समुचित कार्यवाही हेतु नियमन सलाहकार समिति के समक्ष भेज देना चाहिए था। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष तथ्यात्मक एवं विधिक दृष्टि से उचित व वैधानिक नहीं हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर वाद वादी / अपीलांट डिक्री किया जाए।

5. उक्त तर्को का विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विरोध किया एवं अंगौर भूमि बाबत खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने की धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वर्जना होने के कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को विधि सम्मत होना बताया है।

6. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के तथ्यों रूपी यह समवर्ती निष्कर्ष हैं कि ''वादग्रस्त आराजीयात अंगौर किस्म'' की है, जो कि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने योग्य नहीं होती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में इस किस्म की भूमियों की दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है। हालांकि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सी.पी.सी. के प्रावधानानुसार अपील निर्णित करने से पूर्व कोई बिन्दु कायम नहीं किए थे किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय विचारण न्यायालय के निर्णय के पुष्टि करने वाला है, इसलिए मात्र इस आधार पर कि बिन्दु कायम नहीं किये गये, उस निर्णय को अवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। इन परिस्थितियों में तथ्यात्मक एवं विधिक दृष्टि से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित हैं तथा उनमें हस्तक्षेप लायक गुंजाइश नहीं है। इस अपील में विधि का कोई प्रश्न निहित नहीं है। अतः अपील काबिले खारिज है।

8. लिहाजा अपील खारिज की जाती है।

सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष